

मनीष बनाम हजारीलाल

08.06.2022 वादी/अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस अन्दर सात दिवस में पेश करें, अदम अनुपालना आदेश (प्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना पेश नहीं करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज प्रार्थना पत्र काविले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.08.22 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज०

मनीष कुमार

04.8.2022

आज मद्रास की वादी एवं  
वकील वादी की ओर से पत्रकारानु में शर्तीनामा दे  
जाने की स्थिति में आगे कार्यवाही नहीं जा रहा किसे  
कर खारीज किसे जाने का निवेदन रखा

वादी एवं वकील वादी पत्रकारानु में। प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र पर मुना अमान स्वीकार किया जाता है कि  
प्रार्थना पत्र कार्रवाई हो जाने के बाद ही प्रार्थना पत्रकारानु में  
प्रार्थना पत्रकारानु में स्वीकार पर ड्रॉप कर ड्रॉप कर  
खारीज किया जाता है। पत्रकारानु में प्रस्तुत मुना अमान  
मद्रास के अमरुत वाद एडमिल शिथिल जिल्ला अदालत  
मद्रास है। मुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज०

1cl.  
Nayyaraj

